म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(म.प्र.शासन का उपक्रम) CIN:U40109MP2001SGC014880

ब्लाक नं. 2, शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर (म.प्र.), -482008(MP) दूरभाष:-(0761) 2702041,

फैक्स:-(0761)2664450, e-mail:ce.ca@mptransco.nic.in

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/ई–1/238 जबलपुर, दिनांक 15 JAN 2019

विज्ञापन

कार्यालय सहायक श्रेणी–3 (संविदा) के अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित रिक्त पदों की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन (केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए)

म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड जो कि म.प्र. शासन का एक उपक्रम है, में कार्यालय सहायक श्रेणी–3 (संविदा) के अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑन लाईन परीक्षा आयोजित कर प्रावीण्य (मैरिट) सूची के आधार पर नियुक्ति हेतु म.प्र. राज्य के मूल निवासी उम्मीदवारों से विज्ञापन के बिन्दु कमांक 17 में इंगित कार्यक्रमानुसार **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित किये जाते हैं। चयनित अभ्यर्थियों की सेवाएँ म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) संशोधित नियम–2018 की शर्तों एवं उसमें समय–समय पर किये गये संशोधनों के अधीन होगी। संभावित रिक्तियॉ निम्नानुसार हैः–

कं.	पद का नाम	संभावित पदों की संख्या	कुल पद
1	कार्यालय सहायक श्रेणी–तीन (संविदा)	07 अनुसूचित जनजाति (02 पद अनु.जनजाति महिला अभ्यर्थी हेतु आरक्षित)	07

टीप–

- पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है या विज्ञापन स्थगित/निरस्त भी किया जा सकता है।
- **जिन आवेदकों द्वारा कार्यालय सहायक श्रेणी–3 (संविदा) के पद हेतु प्रकाशित कंपनी के पूर्व विज्ञापन कमांक अस/एमपीपीटीसीएल/ई–1/2347, दिनांक 22.07.2017 के विरूद्ध आवेदन किया है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है तथापि उन पर म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्ते)–नियम 2016 के स्थान पर "म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्ते)–संशोधित नियम 2018" में अंकित संविदा सेवा शर्ते लागू होंगी।**

1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य योग्यता :

1.1 बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण।

1.2 उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित मे से कोई एक कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र धारित करना आवश्यक होगाः–

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।

(ख) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा लेबल परीक्षा उत्तीर्ण।

(ग) शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट पाठ्यक्रम में डिप्लोमा उत्तीर्ण।

(घ) राज्य शासन अथवा केन्द्र शासन द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.व्ही.टी.) अथवा राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद (एस.सी.व्ही.टी.) द्वारा प्रदत्त एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (सी.ओ.पी.ए.) का प्रमाण पत्र।

(ड.) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ए.आई.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से कम्प्यूटर साईंस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन एडं आई.टी. इत्यादि में डिप्लोमा प्राप्त किया है

अथवा

बी.ई. (कम्प्यूटर साइंस/आई.टी.)/एम.सी.ए./बी.सी.ए./एम.एस.सी. (कम्प्यूटर साइंस/आई.टी.)/बी.एस.सी.(कम्प्यूटर साइंस/आई.टी.), एम.टेक/एम.ई. इत्यादि में उत्तीर्ण।

टीप–ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें बी.एस.सी./बी.काम/डिग्रीयॉ जिनमे केवल कम्प्यूटर के एक विषय का अध्यापन सम्मिलित है उन्हें (1.2) में दर्शित डिप्लोमा के स्थान पर मान्य नहीं किया जायेगा।

1.3 अभ्यर्थी द्वारा मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी (MAP-IT) द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणिकरण परीक्षा (CPCT) जिसमें कम्प्यूटर दक्षता एवं हिन्दी टाइपिंग में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इस चयन प्रकिया हेतु ऑन लाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक सी.पी.सी.टी. परीक्षा का वैध स्कोर कार्ड होना अनिवार्य होगा।

2. **पात्रता : केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए।**

3. **आयु सीमा :**

3.1 न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा की गणना कैलेंडर वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति में की जावेगी।

3.2 आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2019 को 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

3.3 अभ्यर्थी को आयुसीमा से संबंधित अभिलेख का, अभिलेखों के सत्यापन के समय उसके सापेक्ष मूल प्रमाणपत्र/ अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4. **आरक्षण :**

4.1 मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश राज्य शासन के समतुल्य रोस्टर प्रणाली के अनुसार आरक्षण की पात्रता होगी।

4.2 आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी का स्थायी जाति प्रमाण पत्र, जोकि म.प्र.शासन के परिपत्र क. एफ 7–2/92/आ.प्र./एक दि. 01.08.1996 एवं उत्तरवर्ती संशोधन (यदि

.................3

हो तो) के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) (SDO (Revenue)) द्वारा जारी किया गया हो, प्रस्तुत करना होगा।

4.3 म.प्र.शासन के राजपत्र दिनांक 31 मई 2018 से संशोधित नियम 4(ख) के अनुसार जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहारिया/सहरिया आदिम जनजाति, जिला मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति और जिला छिन्दवाडा तथा सिवनी की भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हता पूर्ण करने पर एवं निर्धारित आयु सीमा में होने पर, भर्ती से संबंधित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जावेगा। इस हेतु अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति कंपनी के जबलपुर स्थित कार्यालय मुख्य अभियंता (मानव संसाधन एवं प्रशासन), ब्लाक नं.–2, द्वितीय तल, शक्तिभवन, म.प्र.पा. ट्रांसमिशन कं.लि., जबलपुर में ऑनलाइन परीक्षा दिनांक से पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4.4 म.प्र.शासन, सा.प्र.वि. के परिपत्र कमांक एफ 7–47/2016/आ.प्र/एक दिनांक 01.01.2018 के अनुसार धीवर, कहार, भोई, केवट, मल्लाह, निषाद जाति के उम्मीदवारें को प्रभावी दिनांक 11.11.2005 से अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत आरक्षण नही दिया जाएगा।

4.5 महिला अभ्यर्थियों (मात्र अनुसूचित जनजाति) के लिए 33% पद ''होरिजेण्टल एवं कम्पार्टमेंट वाइज'' आरक्षण रहेगा।

5. **आवेदन करने की विधि :**

5.1 आवेदन केवल एम.पी.ऑनलाईन (www.mponline.gov.in) के माध्यम से प्राप्त होंगे। एम.पी.ऑनलाईन वेबसाइट की लिंक, कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

5.2 आवेदक द्वारा निम्नांकित दस्तावेजो की स्वयं सत्यापित स्कैन्ड प्रति अपलोड की जावेगी :

(अ) जन्म तिथि के सत्यापन हेतु हाई स्कूल की अंकसूची।

(ब) निर्धारित शैक्षणिक अर्हता की पुष्टि हेतु आवश्यक अंकसूची/प्रमाणपत्र/उपाधि।

(स) स्थायी जाति प्रमाण पत्र जोकि म.प्र.शासन, सा.प्र.वि. के परिपत्र क्रमांक एफ 7–2/92/आ.प्र/एक दिनांक 01.08.1996 एवं उत्तरवर्ती संशोधन (यदि हो तो) के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) (SDO (Revenue)) द्वारा जारी किया गया हो।

(द) म.प्र.का मूल निवासी प्रमाण पत्र।

6. **आवेदन शुल्क एवं अन्य प्रभार :**

6.1 म.प्र. के मूल निवासी अ.ज.जा. आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क रू. 800/– रहेगा।

6.2 आवेदन एम.पी.ऑनलाईन किओस्क के माध्यम से नगद भुगतान कर के भी किया जा सकता है।

6.3 आवेदकों को आवेदन में सुधार हेतु, आवेदन करने की अंतिम तिथि के पहले पोर्टल शुल्क रू. 60/– का भुगतान करने पर एक अवसर प्रदान किया जावेगा।

7. **चयन प्रकिया :**

7.1 केवल ऑन लाईन आवेदन ही स्वीकार किये जावेंगे, जो कि एम.पी.ऑन लाईन के पोर्टल पर उपलब्ध है।

................4

7.2 आवेदक द्वारा ऑन लाईन प्रक्रिया के माध्यम से प्रदत्त जानकारी के आधार पर अर्हता पूर्ण करने पर ऑन लाईन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा, जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी।

7.3 ऑन लाईन परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जावेंगे, जो कि सामान्य गणित, लेखा, अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा, कम्प्यूटर ज्ञान, सामान्य ज्ञान, सहज योग्यता (aptitude) पर आधारित होंगे। प्रश्न पत्र में प्रश्न (अंग्रेजी विषय को छोड़कर) हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा में होंगे।

7.4 ऑन लाईन परीक्षा जबलपुर में आयोजित की जावेगी। तथापि, ऑन लाइन परीक्षा हेतु केन्द्रों का अंतिम निर्धारण उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर किया जावेगा।

7.5 उम्मीदवारों को ऑन लाईन परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु एम.पी.ऑन लाईन द्वारा जारी नियम एवं शर्तों सहित प्रवेश पत्र www.mponline.gov.in से डाउन लोड किये जा सकेंगे।

7.6 कंपनी द्वारा अधिकृत नोडल एजेंसी द्वारा विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर उम्मीदवारों की उपस्थिति की Video Recording की जायेगी।

7.7 उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर के संबंध में यदि चुनौती दी जाती है, तो उम्मीदवारों को आवश्यक निराकरण कर 3 से 4 कार्य दिवस के अंदर ई–मेल के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

7.8 ऑन लाईन परीक्षा मे कट ऑफ मार्क्स न्यूनतम 30% निर्धारित है। अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये उत्तरों में गलत उत्तर पर नकारात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

7.9 ऑन लाईन परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर प्रवीण्य सूची तैयार की जावेगी तथा उसी आधार पर उम्मीदवारों का चयन प्रावधिक रूप से किया जावेगा।

7.10 अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव पत्र प्रेषित किए जावेंगे। नियत कार्यालय में उपस्थिति के समय समस्त आवश्यक दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मिलान कर भौतिक सत्यापन किया जावेगा।

7.11 चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति कंपनी की आवश्यकता अनुरूप संपूर्ण मध्य प्रदेश मे स्थित मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत किसी भी कार्यालय में की जा सकेगी।

7.12 दो या दो से अधिक आवेदको में प्राप्ताकों के समान होने पर वरीयता का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा :–

(अ) जन्मतिथि के अनुसार अधिक आयु वाले को प्राथमिकता दी जावेगी ।

(ब) समान जन्मतिथि होने पर अर्हकारी परीक्षा अर्थात 12वीं परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले को प्राथमिकता दी जावेगी।

(स) आवेदकों के उपरोक्त दोनों शर्तो के समान होने पर कक्षा 10वीं में अधिक अंक प्राप्त करने वाले को प्राथमिकता दी जावेगी।

8. **<u>यात्रा भत्ता प्रतिपूर्ति</u>** :

आवेदकों को यात्रा भत्ता प्रतिपूर्ति म.प्र.शासन, वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक अनुसार एकल किराया राशि देय होगी।

9. **<u>चयन एवं नियुक्ति</u>** :

9.1 वरीयता के आधार पर, चयनित उम्मीदवारों की प्रावधिक सूची कंपनी वेबसाइट पर प्रकाशित की जावेगी एवं उन्हें दस्तावेजों के सत्यापन हेतु बुलाया जावेगा।

9.2 उम्मीदवारों द्वारा एम.पी.ऑनलाईन की वेबसाइट पर अपनी जानकारी दर्ज कर स्कोर कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है।

.................5

9.3 मेरिट लिस्ट परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध होगी। प्रतीक्षा सूची कंपनी की आवश्यकता के अनुसार तैयार की जाएगी। हालांकि, एक वर्ष से पहले भी विशिष्ट आदेश जारी करके भर्ती प्रक्रिया को प्रतीक्षा सूची के संचालन के लिए बन्द किया जा सकता है। प्रक्रिया को बन्द करने के विशिष्ट आदेश जारी करने के बाद किसी भी उम्मीदवार के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

10. <u>**पात्रता के संबंध में सामान्य शर्तें :**</u>

10.1 उम्मीदवार मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

10.2 पात्रता मापदंड, शिक्षा एवं आयु को पूर्ण करने वाले शासकीय/अर्ध शासकीय/सार्वजनिक क्षेत्र संगठनों में कार्यरत उम्मीदवारों को उचित चैनल के माध्यम से आवेदन करना होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन के समय ऐसे अभ्यर्थी को नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10.3 ऐसे उम्मीदवार जिन्हें दिनांक 26.01.2001 अथवा उसके बाद तृतीय संतान की प्राप्ति हुई हो को आवेदन की पात्रता नहीं है। वे अभ्यर्थी आवेदन के पात्र होंगे जिनकी एक जीवित संतान के रहते दिनांक 26.01.2001 अथवा उसके बाद एक ही प्रसव के दौरान एक से अधिक संताने पैदा हुई है।

10.4 चयन के समय अथवा भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा अपने दस्तावेज अंकसूची इत्यादि कूटरचित/फर्जी/बनावटी प्रस्तुत किये है अथवा उसका चयन गलत जानकारी के आधार पर हुआ है तो उसको तत्काल सेवा/अनुबंध से न केवल पृथक किया जाएगा वरन् उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की सकेगी।

10.5 उम्मीदवार का चयन होने पर कार्यग्रहण करने से पहले जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

10.6 ऐसे आवेदक जिन्हें म.प्र.राज्य की किसी भी विद्युत कंपनी द्वारा पदच्युत (DISMISS) किया गया हो, को आवेदन की पात्रता नही होगी।

10.7 ऐसे उम्मीदवार जो विवाहित होने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पहले शादी कर चुके हैं, म.प्र.शासन के राजपत्र पर प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 10.03.2000 के अनुसार आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है।

10.8 म.प्र.शासन, सा.प्र.वि. के आदेश कमांक सी 3–17–96–3–एक, भोपाल दिनांक 25.10.1996 में निहित प्रावधान भी लागू होंगे।

11. <u>**सेवा अनुबंध :**</u>

रूपये 500/– के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर सेवा अनुबंध निष्पादित करना होगा। संविदा अनुबंध की अधिकतम कालावधि 03 वर्ष होगी। कालावधि समाप्त होने पर अनुबंध स्वतः शून्य होगा। कंपनी को यह अधिकार होगा कि, कार्य की आवश्यकता होने पर संविदा कार्मिक द्वारा पिछले संपादित कार्यों एवं आचरण के मूल्यांकन को दृष्टिगत रखते हुए, 03 वर्ष या उससे कम, ऐसी अवधि के लिये जैसा कि कंपनी उचित समझे, नया अनुबंध कर सकेगी। एक अनुबंध से दूसरे अनुबंध के मध्य न्यूनतम 03 कार्य दिवस का अंतराल रखा जायेगा।

................6

12. **संविदा पारिश्रमिक :**

कार्यालय सहायक श्रेणी–3 (संविदा) को म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) संशोधित नियम, 2018 के अनुसार स्थिर राशि रूपये 17,550/– के आधार पर पारिश्रमिक रूपये 17550+मंहगाई भत्ता (1 जनवरी को लागू) देय होगा। यह स्थिर राशि उनकी अनुबंध अवधि हेतु एवं यदि अनुबंध अवधि में वृद्धि भी की जाती है तो भी स्थिर रहेगी।

टीप– उपरोक्त वर्णित पारिश्रमिक कंपनी द्वारा वर्तमान नियमों में संशोधन अथवा नए नियम लागू किये जाने की स्थिति में परिवर्तनीय होगी।

13. **जाति प्रमाण पत्र एवं चरित्र एवं पूर्ववर्ती जानकारी का सत्यापन :**

13.1 विज्ञापित पद पर नियुक्ति, कंपनी द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमो के अनुसार चरित्र और पूर्ववर्ती जानकारी के साथ पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के संतोषजनक सत्यापन के अधीन होगी और यदि पुलिस सत्यापन रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल जानकारी प्राप्त होती है तो नियुक्ति को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा। चयनित उम्मीदवार को प्रथम बार कंपनी में उपस्थिति देते समय निर्धारित प्रारूप में राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। चयन की स्थिति मे मध्य प्रदेश शासन के चरित्र सत्यापन संबंधी नए दिशा निर्देशों के अनुसार चरित्र सत्यापन के संबंध में अभ्यर्थी को रूपये 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का स्व–प्रमाणित शपथ पत्र देना आवश्यक है जिसमें आपराधिक प्रकरणों के संबंध में उनके द्वारा किसी भी तथ्य को जानबूझकर जानते हुए नहीं छिपाया है।

13.2 उम्मीदवारों की नियुक्ति, चरित्र एवं पूर्ववर्ती जानकारी के सत्यापन के अलावा सक्षम प्राधिकारी से जाति के सत्यापन के अधीन होगा। यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार/प्रशिक्षु की जाति को मध्य प्रदेश की अनुसूची में आरक्षित वर्ग के अंतर्गत अ.ज.जा. श्रेणी मे सम्मिलित नहीं किया गया है अथवा प्रस्तुत किया गया जाति प्रमाण पत्र नकली/जाली है तो, उम्मीदवार की नियुक्ति को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और गलत सूचना प्रस्तुत करने के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी।

14. **नोटिस की अवधि :**

कंपनी अथवा संविदा कार्मिक एक महीने का नोटिस या नोटिस के बदले एक महीने का संविदा पारिश्रमिक देकर बिना किसी उल्लेखित कारण एवं शर्त के सेवाओं को समाप्त कर सकतें है।

15. **नियोजन की विशिष्टता :**

कंपनी के कार्यकाल के दौरान कार्यालय सहायक श्रेणी–3 (संविदा) को कंपनी की लिखित अनुमति के बिना किसी अन्य रोजगार या वाणिज्यिक प्रकृति के किसी भी बाहरी गतिविधियों में संलग्न होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कार्यालय सहायक श्रेणी–3 (संविदा) इस बिन्दु के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो उसकी नियुक्ति को बिना किसी कारण बताए समाप्त कर दिया जाएगा।

16. **गोपनीय सूचना :**

16.1 कार्यालय सहायक श्रेणी–3 (संविदा) सेवाओं के दौरान, उसके द्वारा प्राप्त की गई/उसे सौंपी गयी सभी जानकारी को अत्यंत गोपनीय रखेगा और गोपनीयता का पालन करेगा।

.................7

वह सेवाओं के दौरान अथवा सेवा समाप्ति के पश्चात भी पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करेगा एवं तदाशय की गोपनीयता भंग नही करेगा।

16.2 कार्यालय सहायक श्रेणी–3 (संविदा) की कंपनी के प्रति ये वचनबद्धता होगी की :

(अ) गोपनीय जानकारी का उपयोग केवल कंपनी में सेवाएं करने के उद्देश्य के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करेगा।

(ब) किसी गोपनीय सूचना की गोपनीयता को सुरक्षित रखेगा।

(स) किसी भी उद्‌देश्य के पूरा होने पर या संस्था से विलग होने पर गोपनीय जानकारी (इसकी प्रतियों सहित) सभी दस्तावेजों या अन्य सामग्री कंपनी को वापस लौटायेगा।

16.3 इस बिन्दु में उल्लेखित गोपनीय जानकारी का मतलब कंपनी के व्यापार, मामलों, संचालन,संपत्ति, संगठन, लेनदेन एवं उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, अधिकारियों और कंपनी के वित्तीय मामलो से संबंधित कोई भी जानकारी (चाहे मौखिक, लिखित, विजुअल आदि, हार्ड या सॉफ्ट कॉपी) और इसमें रिपोर्ट, सूचना, सलाह और सिफारिश (किसी भी रूप में) किसी भी व्यवहार्यता अध्ययन, मूल्यांकन, रिपोर्ट आदि बिना किसी सीमा के शामिल होगा।

17. **महत्वपूर्ण दिनांक** – चयन प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण दिनांक निम्नानुसार हैः–

क्र.	विवरण	दिनांक
1	ऑनलाईन आवेदन प्रारम्भ होने की दिनांक	18.01.2019
2	ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक	17.02.2019
3	एम.पी.ऑन लाईन वेबसाईट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की दिनांक	01.03.2019
4	नमूना प्रश्न पत्र (मॉक टेस्ट क्योशचन पेपर) अपलोड करने की दिनांक	01.03.2019
5	ऑनलाईन परीक्षा की दिनांक	19.03.2019
6	मॉडल आन्सर का प्रकाशन एवं प्रश्न पत्र से संबंधित आपत्तियॉ दर्ज करने की दिनांक	25.03.2019 से 27.03.2019
7	आपत्तियों के समाधान की दिनांक	28.03.2019 से 07.04.2019
8	ऑनलाईन परीक्षा के परिणाम का प्रकाशन की दिनांक	10.04.2019

अपरिहार्य कारणों से उक्त दिनांकों में फेरबदल संभव है।

18. **दस्तावेज :**

दस्तावेज सत्यापन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल एवं एक सत्यापित छायाप्रति लाना अनिवार्य है :

(क) 10वीं बोर्ड परीक्षा अंकसूची जन्मतिथि के प्रमाण हेतु।

(ख) 12वीं बोर्ड परीक्षा अंक सूची एवं अन्य निर्धारित शैक्षणिक अर्हता की पुष्टि हेतु आवश्यक अंकसूची/प्रमाण पत्र/उपाधि।

................8

(ग) मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी (MAP-IT) द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणिकरण परीक्षा (CPCT) में हिन्दी टाईपिंग एवं कम्प्यूटर प्रवीणता में उत्तीर्ण होने का वैध प्रमाण पत्र।

(घ) वर्तमान नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि कोई हो।

(ङ) मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र।

(च) स्थायी जाति प्रमाण पत्र, जोकि म.प्र.शासन, सा.प्र.वि. के परिपत्र कमांक एफ 7–2/92/आ.प्र/एक दिनांक 01.08.1996 एवं उत्तरवर्ती संशोधित (यदि हो तो) के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया हो।

(ग) 02 पासपोर्ट साइज वर्तमान फोटो।

19. उच्च योग्यता/अनुभव के आधार पर उच्च पद में नियुक्ति के लिए कोई दावा मान्य नहीं किया जाएगा। कार्यालय सहायक श्रेणी–3 (संविदा) को कंपनी क्षेत्रान्तर्गत किसी भी स्थान पर पदस्थ किया जा सकेगा परन्तु किसी भी अन्य कंपनी में स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

20. क्षेत्राधिकार :

चयन प्रकिया के साथ–साथ सेवा मामलों से उत्पन्न होने वाले कोई भी विवाद कंपनी के मुख्यालय में स्थित न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में ही मान्य होंगे। कंपनी की सेवा म.प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम के अंतर्गत नही आती है।

21. महत्वपूर्ण टीप :

1. चयनित अभ्यर्थियों की सेवाएँ म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) संशोधित नियम–2018 से शासित होंगी, जो कंपनी की वेबसाइट www.mptransco.in पर उपलब्ध है। **आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने के पूर्व उपरोक्त उल्लेखित संशोधित नियम–2018 का भली–भॉति अध्ययन कर लेवें।**
2. आवेदकों से निवेदन है कि पूरा विज्ञापन पढ़ने के उपरांत ही ऑनलाईन आवेदन करें तथा विज्ञापन में प्रकाशित प्रावधानों को दूरभाष के माध्यम से पुनः ना पूछें। यदि आवेदक को किसी अन्य संबंध में समस्या है, जिसका उल्लेख विज्ञापन में नहीं किया गया है, केवल ऐसी स्थिति में ही दूरभाष से संपर्क करें।
3. ऑनलाईन आवेदन करने के उपरांत आवेदक अपना आवेदन कमांक संभाल कर रखें।
4. आवेदकों द्वारा यात्रा किराया आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में ही प्रस्तुत किया जावे। किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत किये गये यात्रा किराया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाऐंगे।

मुख्य अभियंता (मानव संसाधन एवं प्रशासन)

म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

कार्यालय सहायक श्रेणी–3 (संविदा) 2019

ऑनलाईन परीक्षा में उपस्थित होने वाले म.प्र. के मूल निवासी अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों को यात्रा किराया भुगतान हेतु आवेदन पत्र

आवेदक का व्यक्तिगत विवरण			
नाम			
आवेदन क्रमांक		मध्य प्रदेश का मूलनिवासी	हॉ
श्रेणी (वर्ग)– अ.ज.जा./ निःशक्तजन		ऑनलाइन परीक्षा केन्द्र का नाम	
पत्राचार हेतु वर्तमान पता (ऑनलाइन आवेदन के अनुसार)			
मोबाईल नं.		ई–मेल आईडी	

यात्रा विवरण					
यात्रा कहां से कहां तक	यात्रा की दिनांक	यात्रा का साधन (बस/रेल)	यात्रा की श्रेणी	बस/रेल टिकिट नं.	यात्री किराया (रूपये)
कहां से कहां तक					
				योग –	

बैंक खाता का विवरण			
बैंक खाता क्रमांक		खाता धारक का नाम	
बैंक का नाम		IFS कोड	
बैंक शाखा : नाम एवं पता			

यात्रा किराया भुगतान हेतु इस आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित अभिलेख संलग्न किया जाना अनिवार्य है :

1. प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) की फोटाकापी
2. जाति प्रमाण पत्र की फोटोकापी
3. एक तरफ की यात्रा टिकिट की मूलप्रति
4. मध्यप्रदेश राज्य के मूलनिवासी प्रमाण पत्र की फोटोकापी
5. बैंक पास बुक के उस पृष्ठ की फोटोकापी जिसमें खाता धारक का नाम, खाता क्रमांक, **IFS** कोड, बैंक एवं ब्रांच का नाम अंकित हो अथवा उक्त जानकारी के सापेक्ष निरस्त (केन्सिल) चैक

घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा मेरे द्वारा यात्रा भुगतान आवेदन पत्र के साथ सभी दस्तावेज संलग्न किये गए हैं। अंकित जानकारी गलत होने अथवा किसी दस्तावेज के अभाव में यात्रा भुगतान न किये जाने पर मेरे द्वारा कोई दावा नहीं किया जावेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पणी : प्रपत्र की सभी प्रविष्टियॉ आवेदक द्वारा भरी जावें व आनलाईन परीक्षा के पश्चात आवेदन पत्र उपर्युक्त अभिलेखों सहित परीक्षा केन्द्र पर जमा किया जावे। यात्रा किराया भुगतान बैंक खाते में किया जायेगा, अतः इस संबंध में दूरभाष पर संपर्क न किया जावे।